II/निगरानी/अशोकनगर/भू-रा/2017/1726 (150)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

वीर सिंह पुत्र श्री शोभाराम आयु–56 वर्ष लगभग व्यवसाय–कृषि, निवासी–ग्राम घाट बमूरिया तहसील मुंगावली, जिला अशोक नगर

पी० के० तिवारी, अधि० 12.6.17

—— आवेदक

12.6.17

बनाम

(1) श्री नन्दन जैन पुत्र शालिगराम जैन निवासी ग्राम घाट बमूरिया तहसील मुंगावली, जिला अशोक नगर —मूल अनावेदक

(2) म.प्र. शासन — तरतीबी अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 15–05–2017 एवं आदेश रा.नि. दिनांक 30.5 द्वारा कार्यालय राजस्व निरीक्षक परगना मुंगावली जिला अशोक नगर के प्रकरण क्रमांक 56/अ–12/15–16

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य :–

1– यह कि, अनावेदक द्वारा ग्राम घाट बमूरिया तहसील मुंगावली की भूमि सर्वे नम्बर 400/3, 446/1 के सीमांकन बावत् आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किये राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना मौके के निरीक्षण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/निग0/अशोकनगर/भू–रा./2017/1726

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री पी0 के0 तिवारी उपस्थित होकर राजस्व निरीक्षक मुंगावली जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 56/–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.5.17 के विरूद्व इस न्यायालय में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक द्वारा ग्राम घाट बमूरिया तहसील मुंगावली की भूमि सर्वे कमांक 400/3, 446/1 के सीमांकन बावत आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर बिना विधि प्रकिया का पालन किये राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना मौके के निरीक्षण एवं सीमांकन किये प्रतिवेदन तैयार किया तथा मेडिया कृषक को सूचना दिये वगैर सीमांकन किया जाकर प्रतिवेदन तैयार प्रस्तुत किया गया है उसमें लगी हुई भूमि सर्वे कमांक 442 में से कुछ भूमि को आवेदक की भूमि में अवैध रूप से निकाल दिया गया है जिसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। 3–मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को दिनांक 12.5.17 को सूचना पत्र जारी किया गया था लेकिन सूचना पत्र में	

मेढ़िया कृषकों के हस्ताक्षर/निशानी अगूंठा नहीं है इसी प्रकार पंचनामा पर भी मेढ़िया कास्तकारों के भी हस्ताक्षर नहीं है। इससे स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक मुंगावली जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 56/–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.5.17 त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होता है। "यद्यपि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू–खंड संख्यांक का सीमांकन– (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखंड या भू–खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा। अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर तहसीलदार के निर्देश के पालन में दिनांक 14–6–16 को राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन किया जिसपर पंचनामा एवं फील्डबुक तैयार की है। फील्डबुक पर सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों के रकबा सहित उनके भूमिस्वामियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा सीमांकित भूमि के कौन–कौन भूमिस्वामी हैं, उनके हस्ताक्षर हैं, यह स्पष्ट नहीं है। 1996 आर एन 357 गीताशर्मा विरूद्ध म0प्र0 राज्य (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है–

"म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159

(उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।"इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया

न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2016 आर एन 185 बाबा ज्ञानदास विरूद्ध तहसीलदार श्योपुर तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

'' भू– राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129– उपबंध के अधीन कार्यवाही – से अभिप्रेत – भूमिस्वामी या कोई व्यक्ति जो भूमि में विधिक अधिकार रखता है – हितबद्ध व्यक्ति है – व्यक्ति जो मात्र कब्जा होने का दावा करता है – हितबद्ध पक्षकार होना नहीं माना जा सकता – ऐसे व्यक्ति को सीमांकन कार्यवाहितयों में आपत्ति करने का अधिकार नहीं।

3. सीमांकन के समय स्थल पंचनामा पर सरहदी कास्तकारों एवं गवाहों के स्पष्ट हस्ताक्षर नाम सहित,

4. रूढिवादी सीमांकन पद्धति (जरीब द्वारा) के अतिरिक्त सेटेलाईट से उपलब्धता के आधार पर विधिवत सीमांकित भूमि की माप कर सीमांए समझाना,

5. सीमांकन पश्चात फील्डबुक तैयार करना,

6. सीमांकन के समय यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उसका मौके पर निराकरण करना,

7. सीमांकन में यदि कोई आपत्ति प्राप्त न हुई हो तो विधिवत सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,

8. सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त सीमांकन प्रतिवेदन पर तहसीलदार द्वारा एक अवसर सहमति/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान करते हुये उसका विश्लेषण कर, विधिवत सीमांकन का अंतिम आदेश पारित करना। 2014 आर एन 69 बद्री प्रसाद विरूद्ध रामप्रसाद जाटव में राजस्व मण्डल द्वारा यही अभिमत व्यक्ति किया है कि सटे हुए कृषकों को सूचना के साथ–साथ सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

गया है कि – "सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।"

स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2006 आर एन 218 गजराज सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं –

"म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – सीमांकन– विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई–– निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई––कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया––एक–भी साक्षी नामित नहीं––पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई––ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।"

1988 आर एन 105 में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया गया है कि सीमांकन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किए बिना नहीं किया जा सकता।

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह निर्विवादित है कि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन पर निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जाना न्यायसंगत होगा–

1. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकार की भूमि का नक्शा प्राप्त करना,

2. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों/हितबद्ध पक्षकार को विधिवत व्यक्तिशः सीमांकन की पूर्व विहित की गई प्रकिया के अनुसार सूचना दी जानी चाहिए। सूचना पत्र के निर्वहन के लिए अनुसूची –1 के नियम 11 से 14 में विहित प्रकिया के अनुसार सूचना देना, यहां यह भी प्रासांगिक है कि हितबद्ध पक्षकार से आशय ऐसे व्यक्ति से होगा, जैसा माननीय उच्च

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मुंगावली जिला अशोकनगर का आदेश दिनांक 30.5.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदर मुंगावली को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि मेढ़िया कृषकों को सूचना एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें, पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य